

अभिलेख उपस्थापित।

12-1-23 सहदेव ठाकुर पिता स्व० रामेश्वर ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-अमृतनगर, कर्वेकला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मंझलीकर्वे, थाना नं०-174, खाता संख्या-12 प्लॉट संख्या-142, रकवा-0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि संजु शर्मा पति दिवाकर ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-गोरहर, पोस्ट एवं थाना-गोरहर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.- RCMSON21013874 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-13/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 79/रा० दिनांक 06.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1481 दिनांक 12.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, चेक स्लीप, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अ०पि०व० के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत बितल हजाम हैं। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-15/1 पर खाता संख्या-12 रकवा 32 डिसमिल की जमाबंदी बढ़न हजाम के नाम पर दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2017-18 तक निर्गत है। आवेदक खतियानी/जमाबंदी रैयत के परपोता हैं। संयुक्त जमाबंदी के अनुसार आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 32 डिसमिल भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त जमाबंदी में रकवा 29 डिसमिल भूमि बचती है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी

1


2

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2022-23 तक निर्गत लगान रसीद की प्रति भी प्राप्त है।


अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सहदेव ठाकुर पिता स्व0 रामेश्वर ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-अमृतनगर, कर्वेकला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मंझलीकर्वे, थाना नं0-174, खाता संख्या-12 प्लॉट संख्या-142, रकवा-0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि संजु शर्मा पति दिवाकर ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-गोरहर, पोस्ट एवं थाना-गोरहर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अपर समाहर्ता, हजारीबाग।



अपर समाहर्ता, हजारीबाग।